न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

(प्रथम प्रकरण)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
206 / 2016	2017 / 636	16.08.2016	17.02.2023 (अन्तिम डिक्री)

बी.टी.नं. 546 / 2017

उनवान प्रकरण

उमेश कुमार मीणा पुत्र छोटूराम जाति मीणा आयु........निवासी नयाबासी तन् ग्राम लाखा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राजस्थान

—वादी

बनाम

1. रामौतार पुत्र भागीरथ
2. मगवाना पुत्र सुरजा
3. सांवरमल पुत्र गणपत
4. औमप्रकाश पुत्र गणपत
5. गीता देवी पत्नि स्व0 रामौतार
6. महिपाल पुत्र स्व0 रामौतार
7. अशोक पुत्र स्व0 रामौतार
8. नन्दू पुत्री स्व0 रामौतार
9. श्रीमति मूली देवी पत्नि स्व0 रामचन्द्र
10. बजरंगलाल पुत्र स्व0 रामचन्द्र
11. पिंकू पुत्र स्व0 रामचन्द्र
12. कमलेश पुत्र स्व0 रामचन्द्र

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.17 10:54:26 IST
Reason: SelfAttested

17/02/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

13. प्रेम देवी पत्नि स्व0 बाबूलाल

14. राजेन्द पुत्र स्व0 बाबूलाल

15. बिरजू पुत्र स्व0 बाबूलाल

16. दौला पुत्री स्व0 बाबूलाल

17. कौशल्या देवी पत्नि स्व0 मदनलाल

18. मनोज पुत्र स्व0 मदनलाल

19. अनिल पुत्र स्व0 मदनलाल

20. सरदार पुत्र स्व0 मदनलाल

21. बाबूलाल पुत्र स्व0 भगू उर्फ भागला **(नाम हजफ किया गया दिनांक 27.04.2022)**

22. श्रीमति सरोज देवी पत्नि श्री लालसिंह

23. राजा पुत्र लालसिंह

24. विजय पुत्र लालसिंह

    प्रतिवादीगण नम्बर 23 व 24 नाबालिंग जरिये संरक्षक माता सरोज देवी समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

25. जयपाल पुत्र रामसहाय

26. मामराज पुत्र रणजीतराम

27. सुरेन्द्रसिंह पुत्र सुगनचन्द

28. गौतम पुत्र रामसहाय

    समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम कल्याणपुरा तन् थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

29. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

30. पटवारी हल्का ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

31. उपंपजियन अधिकारी उपंजियन कार्यालय श्रीमाधोपुर जिला सीकर

32. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

33. राधेश्याम मीणा पुत्र भागीरथ जाति मीणा निवासी ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

34. धन्नीदेवी पत्नि सांवरमल मीणा जाति मीणा निवासी ... तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

35. उर्मिला पुत्री रामावतार आयु 38 ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.17 10:54:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फा.ट्रै.) श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

36. नरेन्द्र पुत्र रामावतार आयु 30 वर्ष

37. मुकेश पुत्री रामावतार आयु 47 वर्ष

38. सुमन पुत्री रामावतार आयु 32 वर्ष

39. मक्खनलाल पुत्र दुर्गा आयु 65 वर्ष

40. पतासी देवी पत्नि स्व0 दुर्गा आयु 90 वर्ष

41. बिमला देवी पुत्री स्व0 दुर्गा आयु 67 वर्ष

समस्त जाति मीणा निवासीगण ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादी अभिभाषक।

श्री गिरीराज शर्मा, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से।

श्री श्रवण कुमार यादव, एड0 प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से।

श्री अनिल कुमार यादव, एड0 प्रतिवादी संख्या 34 की ओर से।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 29 की ओर से

वादपत्र बाबत तकास्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

(दूसरा प्रकरण)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
131/2018	2018/250	29.08.2018	17.02.2023 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

श्रीमती धन्नी देवी आयु 50 वर्ष पत्नि सांवरमल जाति मीणा निवासी थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.17 10:54:26 IST
Reason: SelfAttested

—वादीया

बनाम

1. भगवाना पुत्र सुरजा

दिलीप सिंह
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

2. कौशल्या पत्नि स्व. मदनलाल

3. अनिल पुत्र मदनलाल

4. मनोज पुत्र मदनलाल

5. रामावतार पुत्र भागीरथ

6. राधेश्याम पुत्र भागीरथ

7. सांवरमल पुत्र गणपत

8. प्रेम देवी पत्नि बाबूलाल

9. राजेन्द्र पुत्र बाबूलाल

10. बिरजू पुत्र बाबूलाल

11. दोला पुत्री बाबूलाल

12. पिंकू पुत्र रामचन्द्र

13. बजरंगलाल पुत्र रामचन्द्र

14. मूली देवी पत्नि रामचन्द्र

15. ओमप्रकाश पुत्र गणपत

16. अगरीदेवी पत्नि भग्गूराम

17. कमलेश पुत्र रामचन्द्र

18. दुर्गा पुत्र मांगू

19. दल्ला पुत्र भूरा

समस्त जाति मीणा निवासीगण थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

20. उमेश कुमार पुत्र छोटूराम जाति मीणा निवासी नया बास तन् ग्राम लाखा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

21. भूमिधारी जरिये तहसीलदार खण्डेला/श्रीमाधोपुर जिला सीकर

22. पटवारी हल्का ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकार

23. उपपंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय अजीतगढ़ जिला सीकर

24. नायब तहसीलदार अजीतगढ़ जिला सीकर

25. शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा थोई तहसील जिला सीकर राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.17 10:54:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
17/02/23

उपस्थितः–
श्री अनिल कुमार यादव, एड0 वादीया अभिभाषक।
श्री श्रवण कुमार यादव, एड0 प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से।
श्री हरिश उज्जवल, कमल कुमार शर्मा एड0 प्रतिवादी संख्या 20 की ओर से।
सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 21 की ओर से
——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

नोटः– इस न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण प्रथम मुकदमा संख्या 206/2016 बी.टी.नं. 546/2017 उनवानी प्रकरण उमेश कुमार बनाम रामौतार वगै0, द्वितीय मुकदमा संख्या 131/2018 उनवानी प्रकरण धन्नी देवी बनाम् भगवाना वगै0, दोनों प्रकरण एक ही वादग्रस्त आराजी भूमियॉ अवस्थित तन् ग्राम थोई पटवार हल्का थोई तहसील श्रीमाधोपुर से सम्बन्धित होने से दोनों प्रकरणों को न्यायालय आदेश दिनांक 30.03.2022 को कन्सोलिडेटेड संयोजित किया जाकर दोनों प्रकरणों में एक साथ ही निर्णय पारित किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियॉ दोनों पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 931/2 रकबा 6.7125 हैक्टर वाके तन् ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जो वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 28 व प्रतिवादी नं. 33 की राजस्व रिकार्ड अनुसार सयुंक्त खातेदारी की भूमि है। जिसमें [illegible] 18 क्षेत्रफल 1.8646 हैक्टर हिस्सा कृषि भूमि का रिकार्डेड काबिज [illegible] तथा [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.17 10:54:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

17/02/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

ता 28 व प्रतिवादी नं. 33 मुतनाजा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का पक्षकारान् वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 28 व प्रतिवादी नं. 33 ने मौके पर कब्जे काश्त की सुविधा अनुसार बाहमी बँटवारा कर रखा है। मौके पर अलग–अलग सीवडोल कायम कर शांति पूर्वक काबिज काश्त अर्सा कदीम से चले आ रहे है। पक्षकारान में हुये बाहमी बँटवारे के अनुसार वादी के हक हिस्सा में आई भूमि को वादी ने अपने हक हिस्सा व खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि को बाहमी बँटवारे के अनुसार मौके पर अत्याधिक परिश्रम व काफी मात्रा में रूपया पैसा खर्च कर समतल कर काबिल काश्त कर उपजाउ बनाकर चारो तरफ से सीवडोल छडियॉ बाड आदि लगाकर महदूद कर रखा है। मुतनाजा भूमि में मौके पर वादी अपनी हक हिस्सा व खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शित अनुसार काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी की कब्जे काश्त खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण का कोई लेन देन, सरोकार किसी किस्म का नही है। इसलिये वादीगण उक्त वर्णित खसरा नम्बरान् की कृषि भूमि में अपने हक हिस्सा व खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि की खातेदारी मौके पर पक्षकारान में हुये बाहमी बँटवारे के अनुसार कब्जे काश्त के अनुसार विधिक तकास्मा करवाकर अलग से दर्ज करवाकर अलग से लगान कायम करवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण नं. 1 ता 28 व प्रतिवादी सख्या 33 को कदीमी बाहमी बँटवारे को भंग करने तथा वादी के हक हिस्सा खातेदारी व कब्जे काश्त भूमि में किसी भी तरह की मुजाहमत एवं मदालखत पैदा करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिये वादी प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 28 व प्रतिवादी सख्या 33 को उक्त वर्णित कृषि भूमि को पक्षकारान में हुये मौके पर कब्जे काश्त सुविधानुसार हुये बाहमी बँटवारा व कब्जा काश्त के अनुसार विधिक तकास्मा कराये जाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण वादी को बाहमी बँटवारे के अनुसार मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विधिक तकास्मा कराये जाने हेतु पहले तो आश्वासन देते ... दिनांक 25.07.2016 को प्रतिवादीगण विधिक तकास्मा करवाना ... तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 28 व प्रतिवादी सख्या 33 पक्षकारान में हुये कब्जे काश्त के अनुसार मौके

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.17 10:54:26 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पर हुये अर्सा कदीम पूर्व बाहमी बँटवारे से मुकर कर बाहमी बँटवारे को भंग करने पर उतारू होकर भूमि को बिना विधिक तकारमा करवाये अंजान अपरिचित व्यक्तियो को भूमि विक्रय रहन अन्तरण करने की तथा दीगर को संयुक्त खातेदारी की आड मे मनमर्जी से मनचाही जगह पर बल पूर्वक कब्जा करवाकर कृषि को अकृषि कार्य मे तब्दील करने की धमकी देकर वादी को अर्सा कदीम से चले आ रहे शांति पूर्वक कब्जा काश्त मे मुजाहमत करने की व उसकी कब्ज काश्त खातेदारी भूमि से वादी को जबरन कतई अवैध अनुचित व अन्यायपूर्ण धमकी दी। इसलिये वादी को बिनाय दावा पैदा होकर उक्त दावा हाजा माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना लाजिम आया है। इसलिए दावा पेश करने बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण नं. 1, 2, 4 ता 33, की सम्मन तामील सम्यक हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी 1, 2, 4 ता 33 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी नं. 3 की ओर से श्री श्रवण कुमार यादव एड0 व प्रतिवादी संख्या 34 की ओर से श्री अनिल यादव एड0 उपस्थित आये। वकील प्रतिवादी संख्या 34 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया। वकील वादी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश करने पर एंव वकील प्रतिवादीगण को प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किये जाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 35 लगायत 41 वादपत्र में प्रतिस्थापित किये गये। वकील वादी ने संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 35 लगायत 41 की सम्मन तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने तथा उनकी ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 35 लगायत 41 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.17 10:54:26 IST
Reason: SelfAttested

17/02/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

प्रकरण में पूर्व में राज्य सरकार द्वारा चलाये गये न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट– थोई में आयोजित शिविर में प्रतिवादी नं. 3 की अनापत्ति के आधार पर ग्राम पंचायत थोई के अटल सेवा केन्द्र के मजमें–ए–आम में लोक अदालत की भावना से पक्षकारान् के हक हिस्सा व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मँगवाये जाने हेतु दिनांक 12.05.2018 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। उक्त पारित प्रारम्भिक डिक्री की अपील माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के यहाँ सांवरमल पुत्र गणपत जाति मीणा निवासी थोई के द्वारा उनवानी सॉवरमल बनाम उमेश कुमार वगै0 अपील संख्या 47/2018 पेश की जाने एंव माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 14.01.2019 को निर्णय पारित किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 12.05.2018 को अपासत किया जाकर प्रकरण को अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई गुणावगुण पर प्रकरण में पुनः निर्णय पारित करने बाबत प्रकरण को रिमाण्ड किया गया था। जिस पर वादी की ओर से श्री कमल कुमार शर्मा एड0 उपस्थित आये एंव प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से श्री श्रवण कुमार यादव एड0 ने जवाब दावा पेश किया। प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् 931/2 रकबा 6.7125 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम थोई से सम्बन्धित एक अन्य वाद पत्र मुकदमा नम्बर 131/2018 उनवानी श्रीमती धन्नी देवी बनाम भगवाना वगै0 व मुकदमा नम्बर 100/2018 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी श्रीमती धन्नी देवी बनाम भगवाना वगै0 इसी न्यायालय में विचाराधीन होने तथा पश्चात्वर्ती वाद होने से उक्त पत्रावली में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी बाद सुनवाई स्वीकार होने पर पूर्ववर्ती वाद से सम्बन्धित प्रस्तुत दावा मुकदमा नम्बर 131/2018 उनवानी श्रीमती धन्नी देवी बनाम भगवाना वगै0 व मुकदमा नम्बर 100/2018 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी श्रीमती धन्नी देवी बनाम भगवाना व[illegible] [illegible]वर्ती दावा मु.नं. 206/2016 बी0टी0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.17 10:54:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

17/01/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नम्बर 546/2017 उनवानी उमेश कुमार मीणा बनाम रामोतार वगै० के साथ कन्सोलिडेटेड किये जाने की स्वीकृति दी जाने पर उक्त प्रकरणो को एक साथ सुनवाई हेतु दिनांक 30.03.2022 को संयोजित किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 34 से उनका पक्ष सुने जाने बाबत व्यक्तिशः न्यायालय मे उपस्थित करने बाबत उनके अधिवक्तागणो को आवश्यक हिदायत दी गई लेकिन बावजूद हिदायत के भी उक्त प्रतिवादीगण संख्या 3 व 34 हाजिर अदालत उपस्थित नही आये। प्रकरण मे वकुलाय उभय पक्षकारान् से वादपत्र के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण मे तनकीयात कायम नही की जाकर सीधे ही वकुलाय उभय पक्षकारान् की आपसी सहमति से बंटवारा हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु सद्भाविक प्रयास किये गये। जिस पर वकील प्रतिवादी संख्या 3 व 34 ने वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा बरंग लाल स्याही के अनुसार रास्ते का सम्मिलित रूप से प्रावधान करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं होना वकील प्रतिवादीगण ने पत्रावली की आदेशिका पर अंकित किया। अतः वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में तनकीयात् कायम नहीं की जाकर सीधे ही प्रकरण को बहस में लिया गया।

हमनें प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी व प्रतिवादीगण के अभिभाषकगणों द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 931/2 कुल रकबा 6.7125 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित होकर इसकी खातेदारी वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। उक्त वादग्रस्त भूमियो बाबत प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 28, 33 लगायत 41 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना जमाबन्दी रिकार्ड से स्पष्ट होता है। प्रतिवादी संख्या 3 व 34 के अधिवक्तागणों ने [illegible] के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिकी जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त करते हुए आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर अंकित किये जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.17 10:54:26 IST
Reason: SelfAttested

17/02/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

स्वीकार किया है। प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादी के वादपत्र में वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में बरंग लाल स्याही से वर्णित रास्ता को शामलाती खातेदारी में दर्ज करते हुए वादी व प्रतिवादीगण पक्षकारान् के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार भूमियो का विधिक बंटवारा किये जाने हेतु प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव मँगवाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिकी दिनांक 03.08.2022 को जारी की गई थी।

प्रकरण में प्रारम्भिक डिकी दिनांक 03.08.2022 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव **राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिकी जारी की जाकर जरिये पत्रांक 1160/रीडर/2022 दिनांक 09.09.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से** चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 2661/भू.अ./2022 दिनांक 14.10.2022 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली संलग्न है।

प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री गिरीराज शर्मा एड0 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सीपीसी का पेश किया। जिसका जवाब वकील वादी द्वारा दिनांक 26.12.2022 को दिया जाकर बहस दरख्वास्त प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पर वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। जिस पर वकील प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जवाब दावा पेश करने हेतु अवसर दिये जाने पर वकील प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 08.02.2023 को जवाब दावा पेश किया गया। जिसकी नकल वकील वादी को दिये जाने पर जवाब दावा में नये तथ्य प्रकट

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.17 10:54:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

17/03/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रस्ताव व कुर्रेजात रिपोर्ट में आंशिक संशोधन करते हुए वादी को दी जाने वाली भूमि जो लाल स्याही से दर्शित है के दक्षिणी-पूर्वी तरफ रास्ते के लगती हुई भूमि प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 33 व खातेदार दल्ला पुत्र भूरा समस्त का हिस्सा 1/18 के विधिक हिस्से में आने वाले रक्बे 0.3727 हैक्टर भूमि जो खसरा नम्बर 931/1 के दक्षिणी तरफ, खसरा नम्बर 929 के पश्चिमी-दक्षिणी कोने से लगता हुआ व खसरा नम्बर 2060 के उत्तरी तरफ लगती हुई भूमि जिसको संलग्न सांकेतिक नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शाया गया है का अलग से बट्टा नम्बर डालते हुए खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 33 व खातेदार दल्ला पुत्र भूरा समस्त का विधिक हिस्सा 1/18 का विधिक विभाजन कर खातेदारी अलग से दर्ज किये जाने तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दर्शाये गये रास्ते को दक्षिणी तरफ से पूर्वी तरफ मोड़ देते हुए बढ़ाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 33 एंव खातेदार दल्ला पुत्र भूरा के हिस्से में आने वाली भूमि का रास्ता कायम करते हुए संयुक्त खातेदारी से रकबा कम किया जाकर नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ता व वादी व प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 33 एंव दल्ला पुत्र भूरा के हिस्से की भूमि का पैमाने युक्त तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दिये जाते है। इसके साथ ही वादी की कम हुई जमीन को प्रस्तावित नक्शें में उत्तरी तरफ की ओर बढ़ाते हुए वादी के हिस्से में आने वाली भूमि का रकबा पूर्ण किया जावे। इस बाबत उपस्थित अधिवक्तागण वादी एंव प्रतिवादीगण व पक्षकारान् वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ने सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण में इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये। अतः पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात, दावा, जवाब दावा व कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.17 10:54:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

13/04/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

से अध्ययन किया तथा विद्वान अधिवक्तागणों की बहस अन्तिम व कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति के आधार पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे को आंशिक स्वीकार करते हुए अन्तिम निर्णय कर अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझते है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत विभाजन एंव स्थाई निषेधाज्ञा एंव प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा को आंशिक स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 33 व खातेदार दल्ला पुत्र भूरा समस्त का विधिक हिस्सा 1/18 के मध्य बनी आपसी सहमति के अनुसार विधिक बंटवारा करते हुए तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व कुर्रेजात रिपोर्ट में आंशिक संशोधन करते हुए वादी को दी जाने वाली भूमि जो लाल स्याही से दर्शित है के दक्षिणी–पूर्वी तरफ रास्ते के लगती हुई भूमि प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 33 व खातेदार दल्ला पुत्र भूरा समस्त का हिस्सा 1/18 के विधिक हिस्से में आने वाले रक्बे 0.3727 हैक्टर भूमि जो खसरा नम्बर 931/1 के दक्षिणी तरफ, खसरा नम्बर 929 के पश्चिमी–दक्षिणी कोने से लगता हुआ व खसरा नम्बर 2060 के उत्तरी तरफ लगती हुई भूमि जिसको संलग्न नक्शे में लाल स[्याही से द]र्शाया गया है का अलग से बट्टा नम्बर डालते हुए खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 33 व खातेदार दल्ला

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.17 10:54:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

17/01/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पुत्र भूरा समस्त का विधिक हिस्सा 1/18 का विधिक विभाजन कर खातेदारी अलग से दर्ज किये जाने तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दर्शाये गये रास्ते को दक्षिणी तरफ से पूर्वी तरफ मोड़ देते हुए बढ़ाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 33 एंव खातेदार दल्ला पुत्र भूरा के हिस्से में आने वाली भूमि का रास्ता कायम करते हुए संयुक्त खातेदारी से रकबा कम किया जाकर नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ता व वादी व प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 33 एंव दल्ला पुत्र भूरा के हिस्से की भूमि का पैमाने युक्त तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दिये जाते है। इसके साथ ही वादी की कम हुई जमीन को प्रस्तावित नक्शें में दर्शित नवीन खसरा नम्बर 931/5 के उत्तरी तरफ की ओर बढ़ाते हुए वादी के हिस्से में आने वाली भूमि का रकबा पूर्ण किया जाकर दुरूस्ती करते हुए उसकी खातेदारी वादी के नाम पृथक से दर्ज की जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 14.10.2022 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस में आंशिक संशोधन करते हुए निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :–

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये विधिक विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	उमेश कुमार पुत्र छोटूराम मीणा जाति मीणा सा. नयाबास तहसील नीमकाथाना	931/[illegible]	[illegible]8334	बारानी–3	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.17 10:54:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

17/02/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

2	रामवतार पुत्र मानीराम हिस्सा 1/72, राधेश्याम पुत्र मानीराम हिस्सा 1/72, दल्ला पुत्र भूरा हिस्सा 1/36 समस्त का हिस्सा 1/18 (रकबा 0.3797) जाति मीणा निवासी सा.देह खातेदार	931/3	0.3797	बारानी 1	
2	अगरी पत्नि मगूराम मीणा वगैरा समस्त खातेदारान	931/4	0.1120	गैरमु० रास्ता	
3	सांवरमल पुत्र गणपतराम मीणा वगैरा समस्त खातेदारान	931/2	4.3044	बारानी 3	

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2661/भू.अ./22 दिनांक 14.10.2022 के द्वारा प्राप्त विभिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा में आंशिक संशोधन करते हुए सांकेतिक नजरी नक्शा अनुसार किया जाकर अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Rathore 17/02/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक 17.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.03.17 10:54:26 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 17/02/23

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर